न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/153/2021	2021/300	28.09.2021	23.07.2024

1. अत्तर सिंह पुत्र श्री राधेश्याम, जाति अहीर, उम्र करीब 35 वर्ष, उचित मूल्य दुकानदार चेतन एनक्लेव, फेस 1, जयपुर रोड़, अलवर (राज०)

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.08.2021 जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा प्रकरण सं. 06/2020 बअनुवान सरकार बनाम अत्तर सिंह में अपीलांट (पॉस कोड 26135) का प्राधिकार पत्र सं. 1476/2012 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने, साक्ष्य का अवसर दिये बिना निरस्त किया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट

—:निर्णय:—

जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 02.08.2021 को प्रकरण सं. 06/2020 बअनुवान सरकार बनाम अत्तर सिंह में यह निर्णय पारित किया है कि "अतः अप्रार्थी श्री अत्तर सिंह, पॉस कोड 26135, उचित मूल्य दुकानदार, अलवर शहर तहसील अलवर जिला अलवर का प्राधिकार पत्र सख्या 1476/2012 को समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर शहर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2020 व 13.01.2020 के आधार पर दिनांक 18.02.2020 को विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया, अपीलान्ट के विरूद्ध नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे लेकिन अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ना ही अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम नोटिस दिनांक 28.02.2020 का मिन अपीलान्ट को दिनांक 25.03.2021 को मातहत अधिकारी के समक्ष मिन अपीलान्ट के उपस्थित होने पर प्राप्त हुआ, जिसका पूर्ण वजुहात के साथ नेकनियति से जवाब मिन अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 22.07.2021 को मातहत अदालत अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था, जिस जवाब पर समुचित गौर ना करते हुए दिनांक 02.08.2021 को ही मातहत अधिकारी ने आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। मातहत अधिकारी के द्वारा मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 17.04.2020 को निलंबित किया गया। मिन अपीलान्ट निलबंन आदेश दिनांक 17.04.2020 के पश्चात बार बार मातहत कार्यालय जिला रसद अधिकार के यहाँ अपने निलंबित प्राधिकार को बहाल करने के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन प्रारम्भ में तो मातहत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को यह कहा जाता रहा कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जावेगा। परन्तु प्राधिकार पत्र के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

निलंबन के 90 दिवस अवधि पश्चात भी प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया है एवं बेजा रूप से टाल बाल की जाती रही, ना ही निलंबन बाबत कोई कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया। निलंबन आदेश दिनांक 17.04.2020 के पश्चात अपीलान्ट के विरूद्ध कारण कोई बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2021 को मातहत अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था कि अपीलान्ट के विरूद्ध की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2020, 13.01.2020 की नकल, कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.02.2020 की नकल उपलब्ध कराई जावे, जिस प्रार्थना पत्र पर मातहत अधिकारी ने कोई गौर नहीं किया, ना ही जांच रिपोर्ट व नोटिस की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई गई। मिन अपीलान्ट के द्वारा अपने दीगर जवाब के अधिकारात सुरक्षित रखते हुए मातहत अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.07.2021 को कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश किया गया। निलंबन अवधि के दौरान ही अपीलान्ट के विरूद्ध मातहत अधिकारी के द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की मंशा से गलत रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 241/2020 अन्तर्गत धारा 409 भा.द.सं. एवं 3,7 ईसी एक्ट के तहत दिनांक 31.05.2020 को थाना अरावली विहार, अलवर में दर्ज कराई गई, जिस प्रकरण में भी अपीलान्ट की बात को मानते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया हुआ है। यहां यह तथ्य गौर श्रीमान है कि मुकामी पुलिस के द्वारा मातहत अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलान्ट के स्टॉक का सत्यापन किया जाकर गेंहू व चीनी के स्टॉक को ईसी एक्ट के तहत नहीं माना गया है, ना ही जब्त किया गया है। अपीलान्ट के पास दिनांक 17.04.2020 कि जिस दिन मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था, उस दिनांक को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री गेंहू 193.45 क्वि. व चीनी 127.2 किग्रा का स्टॉक मौजूद था, जिसको भी बार बार निवेदन करने के बावजूद मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अटैचमेन्ट डीलर को स्टॉक संभलवा नहीं गया और ना ही उक्त राशन सामग्री उपभोक्ता को वितरण के लिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया, जिस बाबत प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2021 मातहत अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था, जिसके बावजूद भी अपीलान्ट का स्टॉक ना तो मातहत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है, ना ही अटेचमेंन्ट डीलर को दिलवाया ना ही वितरण के आदेश दिये गये हैं। यदि वितरण के आदेश नहीं दिये गये, या अटैचमेन्ट डीलर को उक्त राशन सामग्री प्रदान नहीं की गई तो उक्त समस्त राशन सामग्री के खराब होने की पूर्ण संभावना है जिससे अपीलान्ट को आर्थिक रूप से बडी भारी क्षति होगी। अपीलान्ट के विरूद्ध लिखित में किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही किसी उपभोक्ता के जांच में बयान हुए है। कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.02.2020 में कुल 08 आरोप मिन अपीलान्ट के विरूद्ध मनगंढत रूप में विरचति किये गये है.। मातहत अधिकारी ने आलोच्य निर्णय कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.02.2020 के आधार पर पारित किया गया है, जिस कारण बताओ नोटिस का जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा मातहत अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.07.2021 को प्रस्तुत किया गया, जो निम्न है :–

आरोप–मौके पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। प्रार्थी बीमार हो गया था, जिस कारण से दुकान बंद थी।

आरोप–दुकान के बाहर दुकान बंद होने का कोई कारण अंकित नहीं होना पाया गया। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। सूचना पट्टा पर सही लिखा गया था, शाम को प्रार्थी बीमार हो गया था, इसलिए दुकान नहीं खोल सका।

आरोप–दुकान के बाहर निर्धारित प्रारूप में स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का अंकन नहीं होना पाया गया। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। सूचना बोर्ड पर प्रार्थी द्वारा मूल्य सूची का संधारण किया हुआ था, जिस पर स्टॉक, मूल्य, सभी वस्तुओं की मात्रा कीमत के बारे में लिखा हुआ था।

आरोप–दुकान के बाहर उच्चाधिकरियान के संपर्क सूत्र एवं प्राधिकार पत्र संख्या का अंकन नहीं होना पाया गया। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। सूचना पट्ट दीवार पर पक्के पेन्ट से पुतावा कर लिखवा रखा था जिसके अन्दर प्राधिकार पत्र संख्या मोटे

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अक्षरों में लिखा हुआ था, उच्च अधिकारियों के मोबाईल नम्बर पर भी अंकित किये हुए थे।

आरोप–वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्तियों/उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया गया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती है उपभोक्ताओं ने बताया कि दुकान 10 तारीख बाद खोली जाती है।

जवाब–उक्त आरोप गलत है। प्रार्थी नियमित रूप से दुकान खोलता है, किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। हमेशा निर्धारित समय पर दुकान खोली जाती है।

आरोप–वक्त जांच उचित मूल्य दुकान के बाहर प्राधिकार पत्र संख्या एवं सहज दृश्य स्थान पर उच्चाधिकारियान के नंबरों का अंकन होना नहीं पाया गया। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। सूचना पट्ट दीवार पर पक्के पेन्ट से पुता कर लिखवा रखा था जिसके अन्दर प्राधिकार पत्र संख्या मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, उच्च अधिकारियों के मोबाईल नम्बर पर भी अंकित किये हुए थे।

आरोप–उचित मूल्य दुकानदार श्री अतर सिंह पॉस कोर्ड 26135 की उचित मात्रा मूल्य दुकान पर वक्त जांच पोस मशीन में दर्ज अवशेष मात्रा के भौतिक सत्यापन में चीनी की मात्रा 127.2 किग्रा एवं 14838.57 किग्रा गेहूं कम होना पाया गया। **जवाब**–उक्त आरोप गलत है। मौके पर गेंहू व चीनी का स्टॉक पूरा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कटटो की गिनती नहीं की गई थी, केवल कयासिया आधार से स्टॉक कम होना गलत रूप में दर्ज किया गया है।

आरोप–रिकार्ड व पोर्टल के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि थोक विक्रेता (क्रय विक्रय सहकारी समिति अलवर) द्वारा 01.09.2016 से 31.12.2019 तक उचित मूल्य दुकानदार अत्तर सिंह यादव (पोस कोड 26135) को 1575.8957 क्विंटल गेहू की मात्रा भेजी गयी है एवं माह जनवरी 2020 के पेटे 36.95 क्विंटल मात्रा भेजे जान की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध है। इस प्रकार आप उचित मूल्य दुकानदार को 1612.8457 क्विटंल कुल मात्रा थोक विकेता के द्वारा भेजी गयी है। दिनांक 01.09.2016 से जांच दिनांक 13.01.2020 तक पोस मशीन संख्या 26135 के द्वारा कुल 1264.75 क्विंटल गेहूं का वितरण किया जाना पाया गया। इस प्रकार उठाव की तुलना में 348.0957 क्विंटल गेहूं के वितरण में कमी पायी गयी। चूंकि उचित मूल्य दुकानदार के पास 110 क्विंटल गेहूं की मात्रा वक्त जांच स्टॉक में उपलब्ध थी। अतः 248.0957 क्विंटल गेहूं की मात्रा वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर नहीं पायी गई जो कि स्पष्ट तौर पर गबन की श्रेणी में आता है।

जवाब–उक्त आरोप गलत है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट यह गलत दर्ज किया है कि मौके पर 110 क्वि. गेहूं स्टॉक में था और 248.0957 क्वि. गेंहू कम था जबकि पॉस मशीन में ऑनलाईन पार्टल चैक करने पर जनवरी 2020 का पॉस मशीन में गेंहू का स्टॉक 246 क्वि. था। जब मशीन ऑनलाईन पार्टल पर स्टॉक 246 क्वि. बता रहा है और मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक रिपोर्ट में 110 क्वि. गेंहू दिखा रहा है, यानि 246–110 136 क्वि. गेंहू प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के हिसाब से होता है, तो प्रवर्तन निरीक्षक ने 248 क्वि. गेंहू अपनी जांच रिपोर्ट में कम दर्ज किया गया है। माह अगस्त 2017 में गेंहू का उठाव 80.70 क्वि. है, जबकि पॉस मशीन द्वारा 35 क्वि. डाला गया है व इसी प्रकार माह सितम्बर 2017 व अक्टूबर 2017 में गेंहू का क्रय विक्रय से उठाव नहीं हुआ और पॉस मशीन में माह सितम्बर 2017 में 65 क्वि. व माह अक्टूबर 2017 में 45.50 क्वि. डाला गया है। इस प्रकार से रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन पार्टल पर गलत सूचना दर्ज की गई है। माह नवम्बर 2017 में क्रय विक्रय का गेंहू का उठाव 69.790 क्वि. हुआ है जबकि रसद विभाग द्वारा मशीन में मात्र 35.50 क्वि. डाला गया है। माह दिसम्बर में क्रय विक्रय से उठाव निल रहा है। जबकि विभाग द्वारा मशीन में ऑनलाईन ट्रांजेक्शन 40 क्वि. डाला गया है। इस प्रकार से जिला रसद विभाग द्वारा बार बार ही ऑनलाईन पोर्टल पर गलत सूचनाऐं भेजी गई है और मशीन में गलत स्टॉक डाला गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पॉस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संधोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी नम्बर आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है, जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पॉश मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोकता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशन कार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 02.08.2021 में अपीलान्ट के विरूद्ध खाद्यान्न की अनियमितता मानी है जबकि उचित मूल्य राशन सामग्री का वितरण बॉयामैट्रिक पॉस मशीन में उपभोक्ता के फिंगर लगाकर या उपभोक्ता के दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी नम्बर को पॉस मशीन में दर्ज करने के उपरान्त ही राशन सामग्री का वितरण वर्तमान में किया जाता है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ता को सही व उचित रूप में राशन सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलान्ट, चेतन एनक्लेव, फेस 1, जयपुर रोड़, अलवर (राज०) में उचित मूल्य का दुकानदार है, जिसका प्राधिकार पत्र सं. 1476/2012 है जो वर्ष 2012 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। वर्ष 2012 से मिन अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट के विरूद्ध की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2020 व 13.01.2020 में गेहूं का स्टॉक जानबूझकर कम दिखाया गया था, जबकि मौके पर गेहूं का स्टॉक पूरा था, जिसके बावजूद झूठे रूप में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण निर्मित करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 10.1.2020 व 13.1.2020 तैयार की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान में गेंहू के कट्टों की गिनती नहीं की, खाली कागजों पर मिन अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये गये, रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की, बाद में तैयार की गई थी। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं रही है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट वर्ष 2012 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की जानबूझकर किसी प्रकार से भी उल्लघंन नहीं किया गया है एवं ना ही किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 06/2020 बअनुवान सरकार बनाम अत्तर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 26135) का प्राधिकार पत्र सं. 1476/2012 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1476/2012 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान, चेतन एनक्लेव, फेस 1, जयपुर रोड़, अलवर (राज०) का उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश फरमावें।

विभागीय पैरोकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया है कि भौतिक सत्यापन पर 248 क्विंटल गेहूं तथा 127.2 किलोग्राम चीनी कम पायी गयी। राशन डीलर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं0 6/2020 दर्ज करवायी जाकर दि0 02.08.2021 को राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। राशन डीलर के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की गयी है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 17.04.2020 को निलम्बित किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2020 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 22.07.2021 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 02.08.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भौतिक सत्यापन पर 248 क्विंटल गेहूं तथा 127.2 किलोग्राम चीनी कम पायी गयी, जो गबन की श्रेणी में आता है तथा यह राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 8, 11, 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 17.04.2020 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र विधिनुसार निरस्त किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 02.08.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
अलवर (राज.)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान